सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-343/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 05 सितम्बर 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/दहेज हत्या/गैंगेस्टर/अवैध असलहा/बलात्कार/पोक्सो आदि से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरादमगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों का विवरण-

थाना- गम्भीरपुर

दहेज हत्या के दो वाँछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

श्री रामाशेर प्राजपति पुत्र भुल्लन प्रजापति ग्रा0 गोसाईपुर मोहाँव थाना चोलापुर जनपद वाराणसी की बेटी सीमा देवी उम्र 23 वर्ष को दहेज के लिए मार डालना। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 145/20 धारा 498 A,304B भादवि व 3/4 DP ACT पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आज दिनांक 05.09.2020 को उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास ने आकर सूचना दिया कि उपरोक्त मुकदमा मे से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- इन्द्रजीत प्रजापति (पति) पुत्र धनन्जु, 2. धनन्जु प्रजापति (ससुर) पुत्र स्व0 मुन्नीलाल निवासीगण ग्राम हरईरामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद है जाने पर मिल सकते है अतः ग्राम हरई रामपुर पहुचा और अभियुक्तगण के घर पर आवाज लगायी गयी तो बताया तो बाहर निकले दोनो लोगो से पूछताछ से इत्मिनान हो गया किय ही दोनो उपरोक्त मुकदमा से वाँछित अभियुक्त गण है। अतः उपरोक्त अभियुक्त गण को समय करीब 09.15 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया।

पूछताछ का विवरण-अभियुक्तगण से पूछताछ पर जुर्म से इनकार करते हुए सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में देने की बात बता रहे है।

पंजीकृतअभियोग-

1- मु0अ0सं0 145/20 धारा 498A,304B भादवि व 3/4 DP ACT थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तारअभियुक्त–

1- इन्द्रजीत प्रजापति (पति) पुत्र धनन्जु , 2. धनन्जु प्रजापति (ससुर) पुत्र स्व0 मुन्नीलाल निवासीगण ग्राम हरईरामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री विजय प्रकाश मौर्या मय हमराह का0 सुनील कुमारथाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

थाना दीदारगंज

पुलिस मुजहमत से सम्बन्धित तीन वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

आरक्षी बृजेश यादव थाना दीदारगंज , जनपद आजमगढ़ के शिकायत के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 144/20 धारा 147,148,149,307,336,353,332,333,427,504,506 भादवि बनाम प्रदुम्मन यादव आदि 6 नफर अभियुक्त/ अभियुक्ता निवासीगण महमूदपुर थाना दीदारगंज , जनपद आजमगढ़ द्वारा कार्य सरकार करते समय व एचएस सत्यापन के दौरान एक राय होकर गाली गलौज देते हुए जान से मारने की नियत से फायर करते हुए ईट पत्थर से मारना पीटना व जान से मारने की धमकी देना , वर्दी फाड़ ना व कार्य सरकार मे बाधा डालने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था।

आज दिनांक-05.09.020 को थानाध्यक्ष दीदारगंज श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह उनि0 श्री जावेद अख्तर ,का0 प्रमोद यादव ,का0 दीपू शर्मा ,का0 सुनील प्रजापति ,का0 दिनेश सोनकर ,म0का0 अनीता कुमारी ,म0का0 शीला व म0 का0 प्रिया श्रीवास्तव के साथ देखभाल क्षेत्र मे मामूर था कि मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि मु0अ0सं0 144/20 धारा 147,148,149,307,336,332,333,353,427,504,506 भादवि से सम्बन्धित वान्छित अभियुक्तागण कही जाने की फिराक में पल्थी तिराहे पर शाहगंज वाली रोड़ पर साधन का इंतजार कर रहे हैं | इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर एक बारगी दबिश देकर गोमटी के पास खड़ी तीनों महिलाओं को महिला आरक्षीयों द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग करते हुये समय 7.10 बजे गिरफ्तार किया गया | पकडी गयी तीनों महिलाओं से उनका नाम पता पूछा गया तो क्रमशः अपना नाम 1.श्रीमती शर्मिला पत्नी चन्द्रशेखर यादव ग्राम महमूदपुर थाना दीदारगंज ,जनपद आजमगढ़ 2.रुचि यादव पत्नी नीरज

ग्राम महमूदपुर थाना दीदारगंज,जनपद आजमगढ़ 3. सविता पुत्री रामकेवल ग्राम महमूदपुर थाना दीदारगंज ,जनपद आजमगढ़ बताये | गिरफ्तार अभियुक्तागण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है |

पंजीकृत अभियोग

1- मु0अ0सं0-144/20 धारा 147,148,149,307,336 ,353,332,333,,427,504,506 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ |

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तागण

1. श्रीमती शर्मिला पत्नी चन्द्रशेखर यादव ग्राम महमूदपुर थाना दीदारगंज,जनपद आजमगढ़ |
2. श्रीमती रुचि यादव पत्नी नीरज ग्राम महमूदपुर थाना दीदारगंज,जनपद आजमगढ़ |
3. सविता पुत्री रामकेवल ग्राम महमूदपुर थाना दीदारगंज,जनपद आजमगढ़ |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1- थानाध्यक्ष दीदारगंज धर्मेन्द्र कुमार सिंह ,उनि0 श्री जावेद अख्तर मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

<u>थाना दीदारगंज</u>

मारपीट के मामले का वांछित एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

श्री तिलकधारी यादव पुत्र स्व0 रामराज यादव सा0 दरियापुर थाना दीदारगंज , जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 143/20धारा 323,504,506,325,308 भादवि बाबत दिनेश यादव आदि 04 नफर द्वारा जमीन सम्बन्धित विवाद को लेकर मारने पीटने , गाली गलौज देने व जान से मारने की धमकी देने मारपीट से वादी के हाथ की कलाई टूट जाने व आवेदक की पत्नी का मौके पर बेहोश हो जाने के सम्बन्ध मे दाखिल तहरीर के आधार पर पंजीकृत हुआ।

आज दिनांक 05.09.2020 को उ0नि0 जगदीश प्रसाद,उ0नि0 अखिलेशचन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मु0अ0सं-143/2020 धारा 323,325,504,506,308 भादवि थाना दीदारगंज से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त की तलाश में उनके घर तथा उनके मिलने वाले सम्भावित स्थानो पर दबिश दिया गया तो अभियुक्त सुरेश कुमार यादव पुत्र स्व0 विजय बहादुर यादव निवासी ग्राम दरियापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ को घर पर मौजूद मिला जिसको समय 05.45 बजे सुबह गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

1- मु0अ0स0- 143/2020 धारा 323,504,506,325,308 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त

2- सुरेश कुमार यादव पुत्र स्व0 विजय बहादुर यादव निवासी ग्राम दरियापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

3- उ0नि0 जगदीश प्रसाद,उ0नि0 अखिलेशचन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ।

<u>थाना- जीयनपुर</u>

एनडीपीएस एक्ट में एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05.09.2020 को समय 08.20 बजे चकलाल चन्द नहर मार्ग बहद ग्राम पूनापार बड़ागाँव व तलाश वांछित/वारण्टी के लिए जा रहे थे कि चकलालचन्द नहर मार्ग पर गुमटी के पास संदिग्ध 07-08 व्यक्ति खडे थे उनके पास पहुँचने पर पुलिस को देखकर सभी लोग भाग गये तथा तख्त पर बैठा एक दोनो पैर से विकलांग व्यक्ति जो बाये हाथ मे एक झोला लिए पास के घर मे भागना चाहा कि पुलिस वालो द्वारा पकड़ लिया गया जिसके पास से 08.15 0 ग्रा0 अवैध स्मैक तथा जिसके पास बेची के 7620 रुपये बरामद हुआ।

उ0नि0 राजकुमार तिवारी मय हमराह का0 मुकेश कुमार सिंह मय हमराह ईगल मोबाइल कर्म0गण का0 रणवीर यादव ,का0 शशांक मिश्राके द्वारा अभियुक्त शिवनरायन पटवा पुत्र राजेश्वर प्रसाद निवासी बाजार गोसाई थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ हालपता मकान शीला देवी ग्राम पूनापार बड़ागाँव थाना जीयनपुर आजमगढ़ को दिनांक 05.09.2020 समय 08.20 बजे स्थानचकलाल चन्द नहर मार्ग बहद ग्राम पूनापार बड़ागाँव के पास से गिरफ्तारी की गयी।

पूछताछ का विवरण- पूछने पर अपनी गलती का माफी माँगते हुये बताया कि दोनो पैर से विकलांग हूँ स्मैक बेचकर अपना भरण पोषण करता हूँ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 275/2020 धारा 8/22 NDPS ACTथाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.शिवनरायन पटवा पुत्र राजेश्वर प्रसाद निवासी बाजार गोसाई थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ हालपता मकान शीला देवी ग्राम पूनापार बड़ागाँव थाना जीयनपुर आजमगढ़

बरामदगी-

1. नाजायज स्मैक 08.150 ग्रा0 2. 7620 रुपये नकद (बेची के)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 राजकुमार तिवारी मय हमराह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

<u>थाना- रानी की सराय जनपद आजमगढ़</u>

<u>लड़की के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार</u>

दिनांक 03.09.2020 को थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ की एक लड़की द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त द्वारा घर में घुसकर छेड़छाड़ , जातिसूचक शब्दो का प्रयोग , गाली गलौच व मारने- पीटनें पर मु0अ0सं0 124/2020 धारा 452/354/323/504 भा0द0वि व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5 A SC/ST Act पंजीकृत कर क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आज दिनांक- 05.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय श्री रामायण सिंह के नेतृत्व मे में उ0नि0 श्री अनुपम जायसवाल मय हमराहियान फोर्स के बेलइसा तिराहे पर पहुँचा तो मुखबीर ने दूर से इशारा कर हट बढ़ गया कि हम पुलिस वाले तेज कदमो से उस व्यक्ति के पास पहुँचे कि वह सकपका गया और बेलइसा तिराहे के पास से हम पुलिस वालो को देखकर तेज कदमो से आजमगढ की ओर भागना चाहा कि हमराही की मदद से 10-15 कदम दौडाकर पकड़ लिया गया पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पुछा गया तो अपना नाम पंकज यादव उर्फ शिवमंगल यादव पुत्र शिवकुमार यादव निवासी ग्राम भदूली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ बताया जो थाना स्थानीय के पंजीकृत अभियोग का नामजद अभि युक्त है , को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.15 बजे सुबह पुलिस हिरासत में लेकर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी का स्थान – बेलइसा तिराहा

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त से पुछताछ पर बता कि हमे आपसे कुछ नही कहना है मै अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0न्यायालय के समक्ष दूँगा।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 124/2020 धारा 452/354/323/504 भा0द0वि व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5A SC/ST Act थाना रानी की सराय आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- शिवमंगल यादव उर्फ पंकज यादव पुत्र शिवकुमार यादव निवासी ग्राम भदूली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1- उ0नि0 श्री अनुपम जायसवाल मय हमराह, थाना-रानी की सराय, आजमगढ़

<u>थाना-कोतवाली</u>

01 वॉछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- *14.08.2020* समय – 17.31 बजे वादी श्री अविनाश सिंह पुत्र रामकरन सिंह सा0 ग्राम रासेपुर थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 200/2020 धारा 363,366 *IPC*थाना कोतवाली आजमगढ़ बाबत वादी के मौसी की पुत्री को अभियुक्त सतीश कुमार गुप्ता पुत्र सुबेदार गुप्ता सा0 ग्राम रासेपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ द्वारा रोडवेज परिसर से बहला फूसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है कि आज दिनांक- 05.09.2020 को समय करीब 11.30 बजे बवाली मोड़ के पास से मुखविर खास की सूचना पर वॉछित अभियुक्त सतीश गुप्ता उपरोक्त हिरासत पुलिस में लिया गया। बाद गिरफ्तारी अभियुक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

1. मु0अ0सं0 –200/2020 धारा –363,366*IPC*थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. सतीश कुमार गुप्ता पुत्र सुबेदार गुप्ता सा0 ग्राम रासेपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1. उ0नि0 श्री उमाशंकर थाना कोतवाली मय हमराह , आजमगढ़

नोट- जनपद आजमढ़ के विभिन्न थानों द्वारा कुल 56 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।